

'विकास मित्र' : चयन मार्गदर्शिका (द्वितीय चरण)

I. विकास मित्र का चयन

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) में जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से रिक्त पंचायत/वार्ड समूह में विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

II. चयन हेतु योग्यता

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
2. **महिलाओं के लिए निर्धारित योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होगी, यह अगले तीन वर्षों के लिए मान्य होगा।**
3. आवेदक की उम्र दिनांक 01.06.2010 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होगी।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
5. जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।
6. जिस पंचायत (ग्रामीण) में महादलित परिवार की 50 से कम संख्या हो, वहाँ से विकास मित्र का चयन नहीं किया जाएगा एवं उसे भौगोलिक दृष्टि से निकटतम पंचायत क्षेत्र से संबद्ध कर दिया जायेगा।
7. वार्ड (शहरी) में महादलित परिवार की 50 से कम संख्या होने की स्थिति में वार्ड (शहरी) का समूह (कलस्टर) बना कर विकास मित्र का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी :-
 - (i) समूह (कलस्टर) में भौगोलिक दृष्टिकोण से निकटतम, न्यूनतम एक एवं अधिकतम चार वार्ड (शहरी) होंगे।
 - (ii) चार वार्ड को मिलाकर 50 महादलित परिवार नहीं होने की स्थिति में भी अधिकतम चार वार्ड पर एक 'विकास मित्र' चुना जाएगा।
 - (iii) समूह (कलस्टर) बनाने के बाद महादलित जाति की बहुलता निर्धारित की जाएगी तदनुसार चयन किया जाएगा।

III. चयन प्रक्रिया

1. विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत रूप से किया जाएगा :-

क्र. सं.	पद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	अध्यक्ष	अनुमंडल पदाधिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी
2	सदस्य सचिव	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल अंतर्गत पदस्थापित वरीय प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल अंतर्गत पदस्थापित वरीय प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी
3	सदस्य	प्रखंड विकास पदाधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी
4	सदस्य	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी

2. मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूचि के आधार पर किया जायेगा।
3. अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

4. चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
5. विकास मित्र चयन में महादलित समुदाय की 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से महिला मुखिया (ग्रामीण) एवं महिला वार्ड (शहरी) आयुक्त के लिए आरक्षित पंचायत और वार्ड, महिला विकास मित्र के लिए आरक्षित रहेंगे। वार्ड (शहरी) के समूह (कलस्टर) बनाने के उपरांत उनमें से सबसे अधिक महादलित जनसंख्या वाला वार्ड अगर महिला वार्ड आयुक्त (नगर निकाय) के लिए आरक्षित है, तो उस वार्ड (शहरी) समूह को महिला के लिए आरक्षित घोषित किया जाएगा। इसका निर्धारण किया जा चुका है।
6. मेधा अंक का आकलन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

क्र. सं.	मैट्रिक/समकक्ष/8वीं परीक्षा	उत्तीर्णता का वर्ष	विद्यालय/बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत

7. समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के क्रम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करेंगे।
9. **महिला अभ्यर्थी के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं प्रक्रिया**
 - (क) महिला अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होगी।
 - (ख) महिला अभ्यर्थियों में मैट्रिक या समकक्ष योग्यताधारी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
 - (ग) 8वीं पास महिला अभ्यर्थी एक से अधिक होने की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - (घ) 8वीं पास महिला अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ विद्यालय परित्याग पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति प्रेषित किया जाएगा।
 - (ङ) उपरोक्त नियम एवं शर्तें महिला के लिए आरक्षित किए गए पंचायत/वार्ड समूह पर लागू होगा।

IV. मानदेय

प्रत्येक विकास मित्र को प्रतिमाह 3000.00 (तीन हजार) रु0 मानदेय जिला मिशन कार्यालय से भुगतान किया जाएगा।

V. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण

मेधा सूची के आधार पर चयनित विकास मित्रों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। कार्यशाला में शपथ ग्रहण एवं नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा।

VI. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया

विकास मित्र का नियोजन 11 (ग्यारह) माह हेतु किया जायेगा तथा उसके बाद पुनः नियोजन पर आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा। विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे। नियोजन के पश्चात् किसी भी समय उनके चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। नियोजन समाप्ति पर मात्र किये गए कार्य अवधि का ही मानदेय भुगतान देय होगा।

VII. विकास मित्र का कर्तव्य

'विकास मित्र' अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच कड़ी का काम करेंगे तथा इस संबंध में विस्तृत कर्तव्यतालिका नियोजन के समय उपलब्ध करा दी जाएगी।

VIII. प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का दायित्व

1. सभी महादलित टोलों, महादलित परिवार का सर्वेक्षण कराना एवं सर्वेक्षण के आधार पर पंचायतवार/वार्ड समूहवार (कलस्टर) (शहरी) जाति बहुलता निर्धारित करना।
2. सर्वेक्षण सूची का अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित करना।
3. पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) सर्वेक्षण सूची एवं रिक्ति को प्रकाशित करना।
4. आवेदन-पत्र को प्राप्त करना एवं आवेदन पंजी का रख-रखाव करना।
5. प्राप्त आवेदन को आवेदन पंजी में दर्ज कर उसकी सूची के आलोक में मेधा सूची को अनुमंडल स्तरीय चयन समिति के समक्ष रखना एवं अनुमोदन प्राप्त करना।
6. पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) मेधा सूची तैयार करना एवं उसका प्रकाशन करना।
7. पंचायत से संबंधित चयन संबंधि कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से संबंधित चयन संबंधि कार्य कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे।

IX. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी का दायित्व

1. सभी प्रखंडों में पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) स्तर पर महादलित जाति की बहुलता का सर्वेक्षण करवाना।
2. चयन समिति के माध्यम से सर्वेक्षित पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) की सूची को अनुमोदित करना।
3. पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) का सर्वेक्षण सूची प्रकाशित करवाना।
4. प्राप्त आवेदनों को आवेदन पंजी में दर्ज कराकर उसकी सूची के आलोक में मेधा सूची को अनुमंडल स्तरीय चयन समिति से अनुमोदित करना।
5. मेधा सूची का प्रकाशन करवाना।
6. चयन प्रक्रिया अंतर्गत आपत्ति प्राप्त करना एवं उनका निराकरण करना।
7. प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना एवं नियोजन पत्र निर्गत करना।

X. नोडल पदाधिकारी

जिला परियोजना पदाधिकारी (महादलित मिशन) जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में चयन कार्य का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं विकास मित्र चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे।

XI. जिला पदाधिकारी का दायित्व

संपूर्ण चयन प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में पूरी की जाएगी ताकि पारदर्शी तरीके से नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हो।

XII. बिहार महादलित विकास मिशन

चयन की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार महादलित विकास मिशन के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण में कार्यान्वित की जाएगी।

चयन प्रक्रिया संबंधि अनियमितता की जाँच जिला पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। जिला पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी समुचित जाँच कर निर्णय लेंगे। जिला पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी की जाँच के विरुद्ध, अपील बिहार महादलित विकास मिशन के राज्य मिशन कार्यालय को की जा सकती है। बिहार महादलित विकास मिशन का निर्णय अंतिम होगा।

नोडल पदाधिकारी (जिला परियोजना पदाधिकारी) सर्वेक्षण, प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची, प्राप्तांक एवं प्रतिशत के साथ मेधा सूची, चयनित विकास मित्रों की सूची, नियोजन पत्र की सॉफ्टकॉपी (Soft Copy) बिहार महादलित विकास मिशन को समर्पित करेंगे।